अन्य पक्ष उपस्थित वास्ते जबाब दि 30-1-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

30.1.18 आज पत्रावली पेश हुई। वकील अन्य पक्ष उपस्थित वास्ते जबाब दि 13-4-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

13/4/18 आज पत्रावली पेश हुई। वकील अन्य पक्ष उपस्थित / पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दि 30.5.18 को पेश हो।

दिनांक 30–05–2018

30/5/18 आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प ठेकडा पेश हुई। सायलान की ओर से प्रार्थना पत्र ब्रीच प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा जारी अन्त.अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 3–9–2014 की अवहेलना की गयी है अतः अप्रार्थीगण को 3 माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे।

गैरसायलान की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा झूठा व निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। गैरसायलान ने दिनांक 3–9–14 से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि में सरसों की फसल बो रखी थी जिसे सायल ने जोत लगा कर नष्ट कर दिया जिसका मुकददमा धारा 147, 427, आईपीसी न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम महवा में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 3–9–14 की अवहेलना करना अंकित किया है । प्रार्थी द्वारा अपनी साक्ष्य में आदेश दिनांक 3–9–14 की प्रति प्रस्तुत की है इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य ऐसी प्रस्तुत नहीं की है जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को प्रमाणित माना जा सके।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

...य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज प्रकाश बनाम सरदमन सिंह मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि सायल का प्रार्थना पत्र गैरसायलान के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र ब्रीच खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा) कैम्प- हिण्डौन	